

परिशिष्ट-V

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाले लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, श्री/श्रीमती/सुश्री (उम्मीदवार का नाम) पुत्र/पुत्री (गांव/डाघ/पंस/जिला/राज्य) का निवासी है। जिसकी आयु वर्ष है और (अक्षमता/दिव्यांगता का स्वरूप/स्थिति) है तथा शारीरिक अक्षमता है जो उक्त स्वरूप/स्थिति में उसके/उसकी लिखने की योग्यता को बाधित/प्रभावित करती है।

उपरोक्त उम्मीदवार प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (जैसा भी नाम निर्दिष्ट किया जाए) जैसे सहायक उपकरण का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।

यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और अवधि तक मान्य है। (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	पुनर्वास तंत्रिका विज्ञानी (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम और मूहर

स्थान:

दिनांक: